न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 377–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–7–2013 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला इंदौर प्रकरण कमांक 23/अ–74/12–13.

मोहन पिता कन्हैयालाल यादव
निवासी इ.एच. 66, स्कीम नंबर 54, इन्दौर .....आवेदक

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन तर्फे कलेक्टर, जिला इन्दौर
2– तहसीलदार, तहसील व जिला इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री हेमन्त गोयल, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मुंगी, अभिषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/4/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, इन्दौर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर के माध्यम से कलेक्टर, इन्दौर को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि इन्दौर स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 155, 156, 157, 244, 245, 246, 247 व 248 हरिजन भूमिहीन सोसायटी एवं ग्राम स्वराज सहकारी संस्था को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर दी गई थी, जो बाद में भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टे पर आवंटित होकर भूमियों का स्वरूप अहस्तांतरणीय था, इसके उपरांत भी शासकीय पट्टेदारों द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के भूमि विकय किया जा चुका है एवं केताओं का नामांतरण हो चुका है ।

वर्तमान में सर्वे कमांक 244/3/1 रकबा 0.981 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 244/70 रकबा 0.283 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 244/82 रकबा 0.567, हेक्टेयर, सर्वे कमांक 247/1/13 मिन–1 रकबा 0.809 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 247/1/20 रकबा 1.214 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 248/13 मिन–1 रकबा 0.405 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 248/45 रकबा 1.021 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 248/85 रकबा 1.021 हेक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 6.292 आवेदक के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 23/अ–14/2012–13 दर्ज कर दिनांक 6–7–2013 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम कम कर शासन में वेष्टित किये जाने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण की ओर से लिखित तर्क में उठाये गये आधारों पर किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) संहिता की धारा 166 में प्रावधानित है कि यदि संहिता की धारा 165 की उपधारा 4 के खण्ड (क) के उल्लंघन में अंतरण किया गया हो तो भूमि राज्य शासन में वेष्टित की जा सकती है । संहिता की धारा 165 (7–ख) के उल्लंघन में किये गये अंतरण के फलस्वरूप भूमि शासन में वेष्टित नहीं की जा सकती है, इस प्रावधान पर बिना विचार किये कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) संहिता 1959 दिनांक 2–10–1959 को अस्तित्व में आई है, तभी से प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में भूमिहीन कृषि मजदूर सोसायटी के नाम दर्ज हुई है, इसलिए संहिता की धारा 165 (7–ख) लागू नहीं होती है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि पर विकेतागण का नाम वर्ष 1982 में ही भूमिस्वामी के रूप में दर्ज हो गया है, और उनके द्वारा 10 वर्ष पश्चात भूमि का विक्रय किया गया है, इसलिए संहिता की धारा 165 (7–ख) लागू नहीं होती है ।

(5) संहिता की धारा 158–बी के दर्शाये अनुसार समस्त अधिकार विक्रेतागण को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियां कृषि कार्य हेतु भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित की गई थी, जो कि अहस्तांतरणीय थी, इसके बावजूद पट्टाधारियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये भूमि विक्रय कर दी गई है, अतः पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने से कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमियां शासकीय घोषित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमियॉ हरिजन भूमिहीन सोसायटी एवं ग्राम स्वराज्य सहकारी संस्था को कृषि कार्य हेतु पटटे पर प्रदाय की गई है । भूमियॉ अहस्तान्तरणीय होने के बावजूद संस्था के भूमिहीन सदस्य पटटेदारों द्वारा प्रश्नाधीन भूमियो का विक्रय बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आवेदक को किया गया है। संहिता की धारा 165–7(ख) में स्पष्ट प्रावधान है कि पटटे की भूमि अहस्तान्तरणीय है और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विक्रय नहीं किया जा सकेगा। स्पष्ट है कि पटटेदारों द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के विक्रय में संहिता की धारा 165 (7–ख) का उल्लंघन किया गया है । अतः कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक का स्वत्व समाप्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमियॉ शासकीय घोषित करने में पूर्णतः वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य है कि प्रश्नाधीन भूमियॉ पटटे की नहीं होकर विक्रेता के स्वत्व व स्वामित्व की भूमि है, क्योंकि इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि पटटे की नहीं होकर विक्रेता के स्वामित्व की भूमि है और ना ही आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सक्षम अधिकारी को अनुमति लिये जाने संबंधी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी नहीं बतलाया जा सका है कि प्रश्नाधीन भूमियॉ किस व्यक्ति को कब पटटे पर प्रदान की गई थी और उसका प्रथम अंतरण कब और किसको हुआ है, अतः कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में न्यायदृष्टांतों का उल्लेख करते हुये

जो निष्कर्ष निकाला गया है, वही न्यायदृष्टांत इस प्रकरण में लागू होंगे । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं होकर स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–7–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर